BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1035 of 2024

IN THE MATTER OF:

S.K Pandey ..... **Applicant**

Versus

State of Uttar Pradesh & Others ..... **Respondents**

INDEX ***NDOH-20.02.2025***

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	Affidavit on behalf of Respondent No. 2, Uttar Pradesh Pollution Control Board	*1-3*
2	**ANNEXURE R2/1:** A true copy of the Show Cause Notice dated 01.07.2024 and the letter issuing Environment Compensation dated 27.08.2024	*4-7*
3.	**ANNEXURE R2/2:** A true copy of the inspection report dated 05.02.2025	*8-10*
4.	**ANNEXURE R2/3:** A true copy of the Show Cause Notice dated 11.02.2025	*11-12*

RESPONDENT NO. 2
UTTAR PRADESH POLUTION CONTROL BOARD

THROUGH

AMIT SHUKLA, ADV.
D-54, SECTOR-48
NOIDA – 201303
Ph. No. 9999933220; 9999333220
Email: amit.shukla@lexweb.in

Date: ***13.02.2025***
Place: ***New Delhi***

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIB
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1035 of 2024

IN THE MATTER OF:

S.K Pandey ..... **Applicant**

Versus

State of Uttar Pradesh & Others ..... **Respondents**

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 2 UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, J.P Maurya, S/o Shri Darbari Lal Maurya aged about 55 years, presently posted as the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board at Lucknow do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 07.11.2024 has cconstituted a Joint Committee comprising Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Magistrate, Lucknow and Central Pollution Control Board to verify the facts stated in the Original Application.

AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow
13/02/25

3. That the Joint Committee constituted by this Hon'ble Tribunal has visited the site and conducted the inspection. The Central Pollution Control Board being the nodal agency has filed the detailed report of the Joint Committee on 09.12.2024.

4. That it is important to mention here that the Project Proponent has applied for the renewal of Consent to Operate on 17.10.2024, however, the said application could not be finally uploaded on the web portal for the want of submission of fee, hence, the same could not be considered.

5. That the Board has earlier imposed the Environmental Compensation (EC) of INR 51,00,000.00 for non-compliance of STP treated discharge effluent norms as per CTO.
A true copy of the Show Cause Notice dated 01.07.2024 and the letter issuing Environment Compensation dated 27.08.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R2/1.**

6. That the Board has initiated the criminal prosecution against the Directors of the Project Proponent (M/s Viraj Construction Pvt. Ltd.), under Sections 43 and 44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 before the court of Special Judicial Magistrate (Pollution), Lucknow (Case number 6842 of 2024).

7. That in continuation of the inspection being conducted by the Joint Committee dated 29.11.2024 and 02.12.2024, further inspection was conducted by the Board on 05.02.2025.
A true copy of the inspection report dated 05.02.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R2/2.**

AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow
13/02/25

8. That in pursuance of the inspection dated 05.02.2025, a show cause notice dated 11.02.2025 was served upon the Project Proponent.
A true copy of the Show Cause Notice dated 11.02.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R2/3.**

9. That the contents of the Affidavit are true and correct and nothing material has been concealed thereof.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this the 13th day of February 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi. Lucknow
13/02/25

Know and identify the deponent who has signed/put T.I. before me

Diary No....
File No...
File S.No....
Date.

2150 07

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या-1/13321 /सी–5/ O.A.N.-34/2024 दिनांक 1-7-2024
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0,
सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा,
लखनऊ।

यह कि मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ में आवासीय परियोजना विकसित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–34/2024 एल0बी0 राय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन में आवासीय परियोजना मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.05.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय परियोजना का उपभोग होता हुआ पाया गया। आवासीय परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु 250 के.एल.डी. क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (एस.टी.पी.) स्थापित है। निरीक्षण के समय एस.टी.पी. संचालित नही पाया गया। इकाई परिसर से जनित उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार जल नमूनें में प्रचालकों की मात्रा में टी.एस.एस.–106 मिग्रा0/ली0 एवं बी.ओ.डी.–64 मिग्रा0/ली0 पाई गयी, जोकि निर्धारित मानकों से अधिक है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक 25.04.2023 के माध्यम से दिनांक 31.12.2023 तक सहमति (जल एवं वायु) निर्गत थी, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उक्त परियोजना को सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नही है और न ही इकाई द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इकाई द्वारा पूर्व में दिनांक 30.12.2023 को आनलाईन के माध्यम से सहमति (जल एवं वायु) हेतु आवेदन किया गया, जिसके अनुक्रम में इकाई का निरीक्षण दिनांक 15.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय एस.टी.पी. के आउटलेट से जनित उत्प्रवाह का जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार जल नमूनें में प्रचालकों की मात्रा में टी.एस.एस.–108 मिग्रा0/ली0, बी.ओ.डी.–42 मिग्रा0/ली0 एवं सी.ओ.डी.–264 मिग्रा0/ली0 पाई गयी, जोकि निर्धारित मानकों से अधिक होने के कारण इकाई का आवेदित सहमति (जल एवं वायु) आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इकाई द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये ही संचालन किया जा रहा है, जोकि जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–377/सहमति– 3247/24 दिनांक 12.06.2024 द्वारा इकाई से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के प्रचालक मानकों के अनुरूप न पाये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किये जाने हेतु जारी की गई मार्गदर्शिका के अनुरूप दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 15.05.2024 तक (कुल 136 दिन) हेतु रूपये 37,500/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन विवरण निम्नवत् हैः–

Envrionmental Compensation (EC)= PI x N x R x S x LF
PI- Pollution index of industrial sector =80 (for red category industry)
N-Number of days of violation took place= Per day
R-A factor in Rupees for EC =250/-
S-Factor for scale of operation=1.5 (for Large scale)
LF-Location factor=1.25 (for Lucknow)
Total Environmental Compensation= 80x1x250x1.5x1.25= Rs. 37,500/day

...2

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा–33ए के अन्तर्गत इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है–

1. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किये जाने हेतु जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 15.05.2024 तक (कुल 136 दिन) हेतु रूपये 37,500/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत परियोजना के विरूद्व उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्लू.एम.डी.), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiF Lifestyle for Environment

Ref. No. H 16242/ C 5 /सहमति - 450/24

Dated 27/08/24
पंजीकृत

सेवा में,

7368 13.09.24

मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा०लि०,
सनब्रीज–1, बी०बी०डी० ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा,
लखनऊ।

विषयः इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, सनब्रीज–1, बी०बी०डी० ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.07.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच 13321/सी 5/186/ओ०ए० नं०–34/2024 दिनांक 01.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से इकाई में स्थापित सी.ई.टी. के आउटलेट के नमूनें मानको के अनुरूप न पाये जाने एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये ही संचालन किये जाने के कारण इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में अपना प्रतिउत्तर दिनांक 19.07.2024 प्रेषित किया गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–745/सहमति–3247/24 दिनांक 14.08.2024 द्वारा अद्यतन आख्या प्रेषित की गयी है। आख्यानुसार उक्त इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.08.2024 को किया गया। आख्यानुसार निरीक्षण के समय पाया गया कि परियोजना में मानकों के अनुरूप ग्रीन वेल्ट एवं सोलर लाइट की व्यवस्था नही पायी गयी। परियोजना के बेसमेण्ट में 250 के.एल.डी. का एस.टी.पी. स्थापित पाया गया। जबकि इकाई को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22.11.2012 के बिन्दु संख्या–04 में उल्लिखित है कि परियोजना द्वारा 5.0 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. स्थापित किया जायेगा तथा सामान्य शर्त संख्या–55 में उल्लिखित है कि एस.टी.पी की स्थापना आबादी से दूर की जायेगी ताकि आस–पास के क्षेत्र में बदबू की समस्या न रहें। उक्त का अनुपालन इकाई परियोजना द्वारा नही किया गया।

निरीक्षण के समय उक्त इकाई परियोजना द्वारा उत्प्रवाह का निस्तारण परियोजना के अन्दर गुजर रहे टेरा नाला में ह्यूम पाइप के माध्यम से किया जाता है, जबकि परियोजना को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12.09.2018 की विशिष्ठ संख्या–06 में उल्लिखित है कि उत्प्रवाह को एस.टी.पी. के माध्यम से अधिकतम मात्रा में गार्डनिंग, फ्लशिंग में लाया जायेगा तथा शोधित जल के पुनः प्रयोग हेतु इरिगेशन इस्प्रिंकलर एवं डिप इरिगेशन सिस्टम पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। निरीक्षण के दौराना उपरोक्त प्रकिया प्रयोग में नही लायी जा रही थी, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है। इकाई को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ संख्या–177917/UPPCB/Lucknow/(UPPCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2023 दिनांक 25.04.2023 के माध्यम से दिनांक 31.12.2023 तक सहमति (जल एवं वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है। निरीक्षण के समय इकाई को निर्गत सहमति (जल एवं वायु) में निहित शर्तो का अनुपालन होता हुआ नही पाया गया। वर्तमान में परियोजना को सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नही है एवं न ही सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र विचाराधीन है। इकाई का संचालन बिना राज्य बोर्ड की सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है, जोकि जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

इकाई के पत्र दिनांक 19.07.2024 द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 01.07.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित करते हुए इकाई के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही न किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र दिनांक 19.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 15.05.2024 को बोर्ड अधिकारियों द्वारा इकाई में स्थापित एस.टी.पी. से एकत्र नमूनें में प्रचालक मानको से अधिक पाये जाने के कारण उक्त एस.टी.पी की मरम्मत का कार्य किया जाना था। इकाई द्वारा बोर्ड से पूर्व प्राप्त सहमति की वैधता (दिनांक 31.12.2023) समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 30.12.2023 को ऑनलाइन सहमति हेतु आवेदन किया गया था।

...2

उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 19.07.2024 द्वारा प्रेषित तथ्यों के संबंध में बोर्ड द्वारा पूर्व में दिनांक 15.05.2024, 15.01.2024 को एस.टी.पी. के आउटलेट से एकत्र नमूनें में प्रचालक मानकों से अधिक पाये गये। अग्रेतर अद्यतन में दिनांक 02.08.2024 को एकत्र नमूनों में प्रचालक फीकल कोलीफार्म के सापेक्ष मानकों के अनुरूप नही पाये गये। इकाई द्वारा ऑनलाइन सहमति आवेदन दिनांक 30.12.2023 को बोर्ड के पत्र दिनांक 17.02.2024 द्वारा अस्वीकृत किया गया, जिसमें वर्णित है कि दिनांक 15.01.2024 को इकाई के एस.टी.पी. से एकत्र नमूनें में प्रचालक मानकों के अनुरूप नही पाये गये।

इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 19.07.2024 में वर्णित है कि इकाई द्वारा दिनांक 22.01.2024 एवं 27.05.2024 को मैसर्स ग्लोबल इन्वायोमेन्टल कन्सलटेन्सी एण्ड रिसर्च सेण्टर तथा मैसर्स एडवान्स इन्वायोमेन्टल टेस्टिंग प्रा0लि0 से एस.टी.पी. के नमूनें विश्लेषित कराये गये। उक्त के संबंध में इकाई द्वारा बोर्ड को पूर्व सूचना प्रेषित नही की गयी एवं न ही बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति में उक्त नमूनें एकत्र किये गये। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 19.07.2024 द्वारा प्रेषित विवरण/तथ्यों पर विचार किया जाना सम्भव नही है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–745/राहगति–3247/24 दिनांक 14.08.2024 के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी0बी0डी0 ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.07.2024 की पुष्टि करते हुए दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 15.05.2024 तक कुल 136 दिवस हेतु रूपये 37,500/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 51,00,000/– (रू0 इक्यावन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अग्रेतर उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 51,00,000/– (रू0 इक्यावन लाख मात्र) का भुगतान जिसका payment gateway (URL: https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना चयन करें।

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति– Water Pollution
2. Regional Officers/क्षेत्रीय कार्यालय– Lucknow
3. EC imposed in compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया– UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–5

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन कराते हुए पत्र की पावती के साथ अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–5

8

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

एवं

मै0 विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 सनब्रीज–1, बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी, ग्राम–शाहपुर सराय शेख सेमरा लखनऊ की निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त वर्णित इकाई का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा निरीक्षण दिनांक 05/02/2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार तिवारी (इन्जीनियर) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. इकाई एक आवासीय परियोजना है। इकाई सनब्रीज 1 में टाउनशिप टी1 से टी12 तक कुल 12 टावर है, जिसम कुल 776 रेजीडेन्सियल फ्लैट है। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मं परियोजना में मात्र 50 प्रतिशत परिवार निवास कर रहे हैं
2. आवासीय योजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु 250 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित है जिसकी प्रमुख ईकाइयां–इक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्चर, बफर टैंक, एनोरॉबिक डाइजेस्टर, प्राइमरी क्लेरीफायर, एरियेशन टैंक, सेकेण्डरी क्लेरीफायर, स्लज ड्राइंग बेड्स है। निरीक्षण के दौरान एस0टी0पी0 संचालित पायी गयी, परन्तु इकाई से जनित उत्प्रवाह 02 हयूम पाइप के माध्यम से टेरा नाले में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित एस0टी0पी0 के आउटलेट, टेरा नाले में मिलने वाले 02 हयूम पाइप एवं टेरा नाले के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम से उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया प्राप्त विश्लेषण आख्या संलग्न है।
3. इकाई में 750 के0वी0ए0 क्षमता के 03 नग डी0जी0 सेट एवं 365 के0वी0ए0 क्षमता का 01 नग डी0जी0 सेट कैनोपीयुक्त स्थापित है। उक्त डी0जी0 सेटो से संलग्न चिमनियों की ऊंचाई मानको के अनुरूप स्थापित नही पायी गयी।
4. इकाई को स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिस्मेंट अथारिटी, उ0प्र0 के पत्रांक सं0–2368/एस0ई0ए0सी0/1059/2011/ए0ए0(एस) दिनांक 22/11/2012 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें प्लाट एरिया–12,86,899.68 वर्गमी0 एवं बिल्टप एरिया–13,37,884.43 वर्ग मी0 अंकित है। अग्रेतर इकाई को स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिस्मेंट अथारिटी, उ0प्र0 के पत्रांक संख्या–357/पर्या/एस0ई0ए0सी0 /1059/2018 दिनांक 12/09/2018 के माध्यम से संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें प्लाट एरिया–12,86,899.68 वर्गमी0 एवं बिल्टअप एरिया– 24,06,979.94 वर्ग मी0 अंकित है।
5. इकाई को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एफ 99099/सी–5/एन0ओ0सी0–595/12 दिनांक 08/02/2012 के माध्यम से कुल निर्माण 317.91 एकड़ क्षेत्रफल हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। इकाई को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ संख्या–177917/UPPCB/LUCKNOW/(UPPCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2023 DATED-25/04/23 के माध्यम से दिनांक 31/12/23 तक सहमति जल/वायु निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है।
6. इकाई द्वारा दिनांक 30/12/23 को आनलाइन सहमति जल/वायु हेतु आवेदन किया गया, जिसके अनुक्रम में इकाई का निरीक्षण दिनांक 15/01/24 को किया गया। इकाई में स्थापित एस0टी0पी0 के आउटलेट से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह में विभिन्न प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक होने के कारण इकाई का आवेदित सहमति जल/वायु आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था।
7. इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदन संख्या–28671665 दिनांक 17/10/2024 द्वारा सहमति जल/वायु आवेदन किया गया है, परन्तु आनलाइन पोर्टल पर जांच किये जाने पर पाया गया कि उक्त सहमति आवेदन पत्र शुल्क सहित जमा न किये जाने के कारण बोर्ड के आनलाइन ओ0सी0एम0एम0एस0 पोर्टल पर प्राप्त नही हुआ, जिससे आवेदन पत्र बोर्ड में लम्बित नही है।
8. वर्तमान में परियोजना को सहमति जल/वायु निर्गत नही है और न ही सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में विचाराधीन है।
9. अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण ओ0ए0 संख्या–1035/2024 एस0के0 पाण्डेय बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं ओ0ए0 संख्या–1346/2024 लालबच्चन राय बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 व अन्य मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित है, जिसमें राज्य बोर्ड की ओर से रिस्पान्स दाखिल किया जाना है। उक्त प्रकरणों में सुनवाई दिनांक 20/02/2025 को नियत है।

–2

10. इकाई को राज्य बोर्ड के पत्रांक संख्या–एच 16242/सी–5/सहमति–450/2024 दिनांक 27/08/2024 के माध्यम से दिनांक 01/07/2024 से दिनांक 15/05/2024 तक कुल 136 दिवस हेतु रूपये 37,500/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 51,00,000/–(रू0 इक्यावन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया है, जो वर्तमान तक जमा नही किया गया है।
11. इकाई के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–43 एवं 44 के अन्तर्गत माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रदूषण), लखनऊ में केस न0–6842/2024 दिनांक 30/11/2024 को परिवाद दाखिल किया गया है।
12. इकाई का संचालन बिना राज्य बोर्ड की सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है, जोकि जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

चूंकि इकाई राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित है तथा इकाई में स्थापित एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह के प्रचालक राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नही है। अतः परियोजना के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–B31011/BMW/2019/WMD-I/16314 dated 08/02/2019 द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति का आंकलन किये जाने हेतु मार्ग दर्शिका के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। उक्त के अनुकम में अग्रेतर दिनांक 16/05/2024 से दिनांक 05/02/2025 तक (कुल दिन–266) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नवत् हैः–

Penalty=PIxNxRxSxLF
PI Pollution index in the categorized Red =80
N is number of days which =266 Day
R is a factor in rupees considering =250
S for the categorization of industry which is=1.5 (for Large)
LF is categorization of Population which is=1.25 (for Lucknow)
Penalty=80x250x1.5x1.25x266=9975000 /-

उपरोक्तानुसार इकाई में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन मानकों के अनुरूप न किये जाने तथा परियोजना का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत इकाई मै0 विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ के विरूद्ध परियोजना के विरूद्ध दिनांक 16/05/2024 से दिनांक 05/02/2025 तक (कुल दिन–266) रू0 37500/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 99,75,000/– (रू0 निन्यानवे लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

11/02/25
(के0के0 चौधरी)
वैज्ञानिक सहायक

11/2/25
(विनोद कुमार)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5) महोदय,

11/2/25

CENTRAL LABORATORY, UPPCB, LUCKNOW

Name of the Industry / Factory : M/s Viraj Constructions Pvt Ltd, BBD Green City Vill- Shahpur, Lucknow

Date of Sample Collection: 05/02/2025

S. N.	S. Code	LIMS ID	Sampling Point	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	O&G (mg/l)	TSS (mg/l)	T.C. (MPN/100ml)	F.C. (MPN/100ml)
1	WW/327	30369057	Outlet of STP	7.45	22.0	95.2	-	54.0	79000	6800
2	WW/328	30369071	Outlet of STP	-	-	-	16.2		-	-
3	WW/329	30369086	Humpipe 1	7.26	44.0	134.8	-	68.0	1700000	1100000
4	WW/330	30369100	Humpipe 2	7.22	58.0	166.0	-	76.0	1400000	940000

S.A 11/2/25

A.S.O. 11/2/25

In Central Lab 11/2/25

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H24075 /सी–5/ जनरल0–45०/25

दिनांक 11/02/2025
पंजीकृत

Annexure R2/3

सेवा में,

मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0,
सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा,
लखनऊ।

यह कि मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ में आवासीय परियोजना विकसित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि आवासीय परियोजना मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.02.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के दौरान एस0टी0पी0 संचालित पाया गया, परन्तु इकाई से जनित उत्प्रवाह 02 हयूम पाइप के माध्यम से टेरा नाले में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित एस0टी0पी0 के आउटलेट, टेरा नाले में मिलने वाले 02 हयूम पाइप एवं टेरा नाले के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम से उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया, प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालक मानकों के अनुरूप नही पाये गये। विश्लेषण आख्या की प्रति संलग्न है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक 25.04.2023 के माध्यम से दिनांक 31.12.2023 तक सहमति (जल एवं वायु) निर्गत थी, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उक्त परियोजना को सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नही है और न ही इकाई द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इकाई द्वारा पूर्व में दिनांक 30.12.2023 को आनलाईन के माध्यम से सहमति (जल एवं वायु) हेतु आवेदन किया गया, जिसके अनुक्रम में इकाई का निरीक्षण दिनांक 15.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय एस.टी.पी. के आउटलेट से जनित उत्प्रवाह का जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार जल नमूनें में प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक होने के कारण इकाई का आवेदित सहमति (जल एवं वायु) आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इकाई द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये ही संचालन किया जा रहा है, जोकि जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–1743/सहमति–3247/25 दिनांक 11.02.2025 द्वारा इकाई से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के प्रचालक मानकों के अनुरूप न पाये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किये जाने हेतु जारी की गई मार्गदर्शिका के अनुरूप PI-80, N-1, R-250, S-1.5, LF-1.25 लेते हुए रूपये 37,500/day की दर से दिनांक 16.05.2024 से दिनांक 05.02.2025 तक (कुल 266 दिन) हेतु कुल रूपये 99,75,000/– (रू0 निन्यानवे लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0,सनब्रीज–1, बी.बी.डी.

...2

ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनग्रीज–1, यी.यी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किये जाने हेतु जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप दिनांक 16.05.2024 से दिनांक 05.02.2025 तक (कुल 266 दिन) हेतु रूपये 37,500/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 99,75,000/– (रू0 निन्यानवे लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–5

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–5